संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अ.प्रशा./सेल–3/2014/1066 भोपाल, दिनांक 11/6/2014

प्रति

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषयः– उपकरणों एवं मशीनो के रिपेयर के वित्तीय अधिकारो के संबंध में।

संदर्भः–1.संचालनालय का पत्र क्र/सेल/–3/अ.प्रशा./2014/173 दिनांक 21.1.2014

2.संचालनालय का पत्र क्र/सेल/–3/अ.प्रशा./2014/392 दिनांक 22.2.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में उपलब्ध समस्त उपकरणों (वाइटल, एसेंशिसल एवं डिजायरेबल सहित) की संस्थावार एन्ट्री EQMIS में किया जाना है। EQMIS में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया है कि लगभग 10 जिलो में कई उपकरण अक्रियाशील अवस्था में है। शेष जिलो में भी कोई न कोई उपकरण अकियाशील दर्शाया गया है। उपकरणों के अकियाशील होने से मरीजों की जांचे नहीं हो पाती है, इससे रोग के निदान एवं मरीज के उपचार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा कई बार मरीज को उपयुक्त उपचार भी नहीं दिया जा पाता है। शासकीय अस्पतालों में उपकरण अक्रियाशील होने से रोगी निजी अस्पताल से जांच करवाता है जिससे कि उसको आर्थिक भार भी सहना पड़ता है।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आप समस्त उपकरणों को कियाशील रखे। इस संबंध में बड़े उपकरण एक्सरे मशीन, यू. एस.जी. मशीन, एस.एन. सी.यू. के उपकरण आदि के रखरखाव एवं कियाशीलता का उत्तर दायित्व सौपने के लिए नामजद नोडल अधिकारी नामांकित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में उपकरणों का अकियाशील होना यह दर्शाता है कि आपके द्वारा संचालनालय के निर्देशों पालन नहीं किया जा रहा है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ संस्थाओं के प्रभारी को निर्देशित करें कि वे अपनी संस्था में उपकरणों की सतत समीक्षा करेंगे व उपकरणों को कियाशील रखना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारणवश उपकरण अकियाशील होता है तो संस्था प्रभारी उपकरण को सुधारने हेतु त्वरित कार्यवाही करें। उपकरणों को देखरेख हेतु व छोटे–छोटे रिपेयर के संबंध में संभागीय कार्यालय में पदस्थ बायोमेडिकल इंजीनियर का सहयोग लिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश बुक ऑफ फायनैसियल पावर्स, 1995 भाग–2 में वर्णित नियम के अनुसार क्षेत्रीय संयुक्त संचालक को मशीनो एवं उपकरणों के रिपेयर हेतु रूपये 2 लाख एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को रूपये एक लाख तक के वित्तीय अधिकार दिये गये है। अतः ऐसे अकियाशील उपकरण जिनकी रिपेयर राशि उक्त सीमा अन्तर्गत है उनके

रिपेयर की स्वीकृति इन वित्तीय प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। ध्यान रहे कि जिले की समस्त संस्थाओं में समस्त उपकरण हमेशा कियाशील अवस्था में रहे ताकि मरीजों की बीमारी का निदान एवं उपचार सुविधा पूर्वक एवं सुचारू रूप से किया जा सकें।

जिले की प्रत्येक संस्था के उपकरणों की कियाशीलता बाबत एन्ट्री EQMIS में नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
O/C संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अ.प्रशा./सेल–3/2014/1067 भोपाल, दिनांक 11/6/2014

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा.एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
O/C मध्यप्रदेश